

कृषि, खाद्यान्न सुरक्षा एवं गुणवत्ता

परिचय :

किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि उस देश में कृषि एवं उद्योगों के विकास पर निर्भर करती है। ये दोनों ही क्षेत्र अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ माने जाते हैं।

भारत एक कृषि-प्रधान देश है जहाँ लगभग 64 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या आज भी कृषि पर ही आजीविका के लिए निर्भर है।
कृषि वस्तुतः: भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश के अधिकांश ग्रामीण परिवारों के लिए कृषि मुख्यतः: रोजगार का साधन है। देश की शहरी जनसंख्या भी खाद्यान्न तथा कच्चे माल की आपूर्ति के लिए कृषि पर आश्रित है। संसार में संभवतः: कोई भी देश ऐसा नहीं है, जिसका कृषि से इतना प्रत्यक्ष एवं घनिष्ठ सम्बन्ध हो।

प्रख्यात कृषि विशेषज्ञ एवं राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष प्रो० एम० एस० स्वामीनाथन के शब्दों में, ‘कृषि एक मशीनी वस्तु नहीं, बल्कि गाँवों में रह रहे 80 प्रतिशत लोगों की जीविका की गारंटी देने की रीढ़ है। कृषि भारत एवं बिहार के आर्थिक विकास का इंजन है।’

प्रसिद्ध कृषि-अर्थशास्त्री प्रो० स्वामीनाथन का मानना है कि भारत के कृषक परिवार से देश की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या संबंधित है। यह राष्ट्रीय आय का औसतन लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा प्रदान करती है तथा ग्रामीण भारत की 80 प्रतिशत श्रम शक्ति को रोजगार देती है। अतः भारत जैसे अर्द्ध-विकसित एवं कृषि प्रधान देश के लिए कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन एवं उच्चतर विकास-दर एकदम जरूरी है। निःसंदेह भारतीय कृषि श्रमिकों के लिए रोजगार का निर्यात एवं विदेशी मुद्रा का महत्वपूर्ण साधन है तथा वह औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, पूँजी-निर्माण में वृद्धि लाने तथा लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में भी अमूल्य योगदान देती है।

बिहार में कृषि :

आर्थिक दृष्टि से भारत के पिछड़े राज्यों में बिहार सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ कृषि ही प्रधान व्यवसाय है। बिहार की कुल आय का बड़ा भाग इसी क्षेत्र से उत्पादित होता है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। अविभाजित बिहार के विभाजन के बाद अधिकांश संगठित उद्योग झारखण्ड में चले गए। जो बचे हैं वे या तो बंद हैं या उनकी स्थिति दयनीय है। बिहार की अर्थव्यवस्था अब मुख्य रूप से कृषि आधारित है। यहाँ के लोगों की जीविका, आय एवं रोजगार का कृषि ही प्रमुख आधार है। बिहार राज्य की बहुसंख्यक जनसंख्या जो लगभग 80 प्रतिशत से अधिक गाँवों में निवास करती है साथ ही राज्य की अधिकांशः जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है।

कृषि बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह बात अनेक तथ्यों से जाहिर हो जाता है। कृषि अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों को खाद्यान्न एवं कच्चे माल की आपूर्ति करता है। बचतों एवं करों के रूप में साधन प्रदान करता है। ग्रामीण जनसंख्या अन्य क्षेत्रों के विकास को गति प्रदान करती है क्योंकि उनके द्वारा की गई वस्तुओं की माँग पर उद्योग, व्यापार आदि का विकास एवं विस्तार निर्भर करता है। राज्य से (नकदी फसल) कृषि वस्तुओं, आम, लीची, गने आदि का निर्यात कर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। ऐसा कहना ठीक होगा कि बिहार की कृषि में बढ़ती हुई उत्पादकता से बिहार के अन्य औद्योगिक विकास में अनेक प्रकार से सहायता मिल सकती है। बिहार की कृषि उत्पादकता अधिक होने पर कृषि-क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों को श्रम शक्ति का स्थानांतरण संभव होगा। साथ ही गैर-कृषि क्षेत्र की बढ़ती हुई खाद्य सामग्री की माँग को कृषि व्यवसाय में कम व्यक्ति रह जाने पर भी पूरा किया जा सकता है। इससे कृषि से जुड़े कृषक वर्ग की आय बढ़ जाएगी। जब कृषि उत्पादन बढ़ता है तो राज्य की आय बढ़ती है तथा प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। बिहार में कृषि का योगदान राज्य की आय में काफी अधिक है।

बिहार में कृषि का महत्व :

कृषि राज्य में वस्तुओं की खरीद-बिक्री द्वारा अन्य क्षेत्रों के विकास एवं विस्तार का अवसर प्रदान करती है। यह खाद्यान् एवं कच्चे माल की आपूर्ति अन्य क्षेत्रों को करता है तथा निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध कराता है।

इस तरह गैर-कृषि क्षेत्रों जैसे व्यवसाय एवं व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है।

बिहार में कृषि के महत्व

- राज्य की आय में महत्वपूर्ण योगदान
- रोजगार एवं आजीविका का प्रमुख साधन
- औद्योगिक विकास में योगदान
- सरकार की आय का साधन
- योजना की सफलता में योगदान

बिहार में कृषि के पिछड़ेपन के कारण :

बिहार में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है जिसपर राज्य की बहुसंख्यक जनसंख्या अपनी जीविका, आय तथा रोजगार के लिए निर्भर है परंतु बिहार में कृषि की स्थिति अच्छी नहीं है।

डॉ क्लाउस्टन (Dr. Clouston) के अनुसार— ‘भारत में पिछड़ी जातियाँ तो है ही, यहाँ पिछड़े हुए उद्योग भी हैं और दुर्भाग्यवश कृषि उनमें सबसे अधिक पिछड़ी है।’ डॉ क्लाउस्टन का उपरोक्त कथन बिहार के संदर्भ में शत प्रतिशत सच दिखता है जिन्हें निम्न रूप में रेखांकित किया जा सकता है।

बिहार में कृषि के पिछड़ेपन के कारण :

- कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार
- भूमि का असमान वितरण
- मौनसून पर निर्भरता
- बाढ़, अकाल तथा सूखे की विभीषिका
- खेती के पुराने अवैज्ञानिक तरीके एवं निम्न उत्पादकता
- उन्नत खाद, उन्नत बीज का अभाव
- सिंचाई सुविधा का अभाव
- पूँजी की कमी
- भूमि का उपविभाजन एवं अपखण्डन
- अशिक्षा

बिहार में कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय :

यहाँ यह स्मरणीय है कि कृषि के पिछड़ेपन के उपरोक्त कारणों को दूर करके बिहार के कृषि से अधिक उत्पादकता एवं अन्य लाभ प्राप्त कर बिहार का समग्र विकास किया जा सकता है। तीव्र गति से कृषि विकास के लिए तथा उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है।

बिहार में कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय

- जनसंख्या नियंत्रण
- सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था
- बाढ़ नियंत्रण एवं बेहतर जल-प्रबंधक
- उन्नत, बेहतर कृषि तकनीक का प्रयोग
- कृषि में संस्थागत वित्त का अधिक प्रवाह

फसल के प्रकार

भारत तथा बिहार राज्य में फसल को मुख्यतः दो भागों में बाँटा जाता है-

फसल के प्रकार

खाद्य फसल

(धान, गेहूँ, मक्का, जौ, महुआ,
ज्वार, बाजरा, चना, अरहर आदि।)

नकदी फसल

(ईख, जूट, तिलहन, दलहन
मिर्च, आलू, प्याज आदि।)


जलवायु की परिवर्तनशीलता का स्पष्ट प्रभाव फसल के प्रारूप (बुआई एवं कटाई) पर पड़ता है। धान राज्य की प्रमुख फसल है लेकिन बिहार के मैदानी भाग में पश्चिम की ओर मकई, गेहूँ, जौ, चना एवं अन्य हल्की वर्षा पर निर्भर फसलों का महत्व बढ़ जाता है। फसल एवं ऋतु के पारस्परिक संबंधों पर राज्य की कृषि चार वर्गों में विभाजित है।

खाद्य फसलों के प्रकार

1. भदई
 2. खरीफ या अगहनी
 3. रबी
 4. गरमा
- बिहार राज्य की मुख्य खाद्य फसल गेहूँ और धान है। धान के उपयोगी उत्पादन को चावल कहते हैं।

- भर्दई (शरदकालीन)**— भर्दई की फसलें मई-जून में बोयी जाती हैं जो अगस्त-सितम्बर तक अर्थात् हिन्दी मास भादो में तैयार हो जाती है। मक्का, ज्वार, जूट एवं धान की कुछ विशिष्ट किस्में मुख्य फसल हैं। मानसून-पूर्व की वर्षा पर आधारित भर्दई, फसलों का उत्पादन पठारी प्रदेश की अपेक्षा बिहार के मैदानी भाग में अधिक होता है।
- खरीफ या अगहनी (शीतकालीन)**— खरीफ या अगहनी फसल में शीतकालीन धान प्रधान फसल है। इसकी बुआई जून में की जाती है और हिन्दी मास अगहन (दिसम्बर) में यह तैयार हो जाता है। बिहार की कृषि में अगहनी फसल का सर्वोच्च स्थान है।
- रबी (वसंतकालीन)**— रबी के अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, खेसारी, मटर, मसूर, अरहर, सरसों आदि विभिन्न प्रकार की दलहन एवं तिलहन की फसलें सम्मिलित हैं। अक्टूबर-नवम्बर के महीने में फसलों की बुआई की जाती है और जो मार्च (वसंत ऋतु) तक तैयार हो जाती है। राज्य की कुल कृषि भूमि के एक-तिहाई भाग पर रबी की खेती की जाती है।
- गरमा (ग्रीष्मकालीन)**— राज्य में जहाँ भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है अथवा नमी भूमि वाले क्षेत्र है वहाँ गरमा फसलों की खेती होती है। गरमा फसलों में हरी सब्जियों का विशेष स्थान है। इस ऋतु में विशेष किस्म के धान एवं मक्का की खेती की जाती है। बिहार के नालन्दा जिले में तथा वैशाली एवं सारण के गंगा तट पर हरी सब्जियों की खेती की जाती है।

चित्र : 5.1



चित्र : विभिन्न प्रकार के फसल के उत्पादन में लिप्त व्यक्ति

खाद्यान के स्रोत

अब हम खाद्यान के प्रकार के पश्चात् इसके स्रोत अथवा इसकी उपलब्धता पर प्रकाश डालेंगे। खाद्यान के स्रोत से हम जरूरत के अनुसार खाद्य पदार्थों की पूर्ति पर बल देते हैं। खाद्यान के स्रोत के रूप में मुख्यतः गहन खेती मानी जाती है। जिस राष्ट्र व राज्य की कृषि नीति जितनी ही अच्छी होगी, उतनी ही कृषि उपज में वृद्धि होगी। जब बाढ़, सुखाड़, अकाल, भूकम्प, महामारी इत्यादि जैसी प्राकृतिक विकृतियाँ आती हैं तो उस समय खाद्यान का स्रोत भी ढीला पड़ जाता है। इसलिए खेती का मजबूत होना नितांत आवश्यक है। चौंकि भोजन मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है, इसके लिए खाद्यानों की पूर्ति आवश्यक है।

खाद्यान के स्रोत:-

- गहन खेती
- कृषि नीति
- आयात नीति
- जरूरत से अधिक उपज नीति

चित्र : 5.2



उन्नत तरीके से की गई सरसो की खेती

खाद्यान के अन्य स्रोत के रूप में आयात-नीति, भंडारण-नीति एवं जरूरत से अधिक उत्पादन नीति को माना गया है। खासकर आपदाओं के समय अन्य राष्ट्र से खाद्य पदार्थों का आयात किया जाता है ताकि आम जनता के जीवन को भूख से बचाया जा सके।

जब गहन खेती के कारण कृषि उपज में वृद्धि होती है या जरूरत से अधिक अनाज की उत्पत्ति होती है तो इसे सुरक्षित रखना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए खाद्यान्न का बड़े-बड़े भंडार कक्ष में रखना अनिवार्य हो जाता है। अतः खाद्यान्न का यह स्रोत जो भंडार कक्ष में सुरक्षित होता है, आपदाओं में काफी मददगार होता है।

जब कृषि की सरकारी नीति उदारवादी होती है तो कृषक खुश होकर खेती करते हैं और नए-नए तकनीक का सहारा लेते हैं। इस प्रक्रिया से कृषक उपज को जरूरत से ज्यादा उत्पादित कर पाते हैं। इसका सीधा असर आपदाकाल में देखा जाता है। जरूरत से अधिक उपज, भविष्य में होने वाले उपज की कमी को दूर करता है। इस प्रकार खाद्यान्न का सबल स्रोत किसी भी धनी राष्ट्र की पहचान है। सरकारी उदारवादी नीति का अर्थ सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए पूँजी, सिंचाई, खाद, फसल-संरक्षण को सुविधापूर्वक मुहैया कराना है।

खाद्यान्न की गुणवत्ता

भोजन के रूप में खाद्य पदार्थ का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना इस बात का परिचायक है कि हम खाद्य पदार्थ में स्वावलंबी हैं। खाद्य पदार्थ के स्वावलंबन का मुख्य आधार खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता है। गुणात्मक दृष्टिकोण से खाद्य की उपलब्धि से ज्यादा उसके गुण पर जोर देनी चाहिए। इस संबंध में व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकता के अनेक अनुमान हैं। उदाहरणस्वरूप यह अनुमान लगाया गया है कि घर पर रहकर काम करनेवाली स्त्रियों के लिए प्रतिदिन 3100 कैलोरीयुक्त पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है जबकि एक ऑफिस में काम करने वाले अथवा अध्यापक की दैनिक आवश्यकता कम से कम 2600 कैलोरी है। दूसरी तरफ एक सामान्य सक्रिय व्यक्ति तथा डॉक्टर, इंजीनियर एवं दर्जी की आवश्यकता 3000 कैलोरी है। इसी प्रकार एक औद्योगिक श्रमिक की दैनिक आवश्यकता 3600 कैलोरी है। उपर्युक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि भोजन की पौष्टिक शक्ति की इकाइयाँ भिन्न-भिन्न कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न-भिन्न मात्रा में आवश्यक होती है।

कैलोरी के आवश्यकता के अनुसार यदि मनुष्य खाद्यान्न ग्रहण करता है तो उसे आत्म संतुष्टि मिलती है और वह सफल एवं कुशल व्यक्ति के रूप में अपने आप को उपस्थित करता है। इसलिए खाद्य पदार्थ के उपज के साथ-साथ इसके गुणात्मक मूल्य को भी समझना चाहिए। खाद्य का एक गुणात्मक पहलू ही मानव के शरीर में स्वस्थ जीवन व स्वस्थ विचार उत्पन्न करता है। कार्य का अच्छे ढंग से सम्पादन, उसे कुशलतापूर्वक करना इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति को गुणात्मक अथवा अच्छे खाद्य पदार्थ मिल रहा है। लोगों के लिए अच्छे खाद्य पदार्थ की उपलब्धता देश की समृद्धि का प्रतीक है।

1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था— ‘आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता’ (सं. रा. 1975)। अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुँच पर जोर दिया। हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ-साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनियोग बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तदनुसार, खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफी परिवर्तन हुआ है। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन, 1995 में यह घोषणा की गई है कि “वैयक्तिक, परिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा विश्व के स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुँच सदैव हो”। इसके अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया कि “खाद्य तक पहुँच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परमावश्यक है।”

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

- इसका उद्देश्य वर्ष 2011-12 तक 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूँ और 2 मिलियन टन दालों का अतिरिक्त उत्पादन करना है ताकि खाद्यान्न की पूर्ति उसकी माँग को पूरा कर सके और देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।
- देश में 16 राज्यों के 305 जिलों में लगभग 250 लाख किसानों के लाभान्वित होने की आशा है।
- कुछ क्षेत्रों, जिनमें किसान मिशन के प्रचलनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता पाने के पात्र हो सकते हैं, में शामिल हैं:-
 → बेहतर गुणवत्ता वाले बीज।
 → फार्म मशीनरी।
 → खेत पर जल प्रबंधन।
 → कीटनाशियों के कुशलतम प्रयोग हेतु समेकित कीट प्रबंधन।
 → मृदा स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए समेकित पोषक तत्व प्रबंधन।
- किसानों को लाभ पहुँचाने वाले अन्य क्रियाकलापों में निम्न चीजें सम्मिलित हैं:-
 → बड़े पैमाने पर क्षेत्र प्रदर्शनों के जरिए उन्नत पैकेज पद्धतियों का प्रदर्शन।
 → विस्तार समर्थन प्रदान करने के लिए कृषक फील्ड स्कूलों (एफएफएस) का आयोजन।

खाद्य सुरक्षा के लिए सुझाव

1. कृषि उत्पादन में वृद्धि
2. खाद्यानन वितरण की सुव्यवस्था
3. सामुदायिक विकास द्वारा सहयोग तथा संगठन
4. खाद्यानन प्रशासन में सुधार
5. जनसंचया-नियोजन
6. उपभोग की वर्तमान आदतों में परिवर्तन

रामू की कहानी

रामू माधोपुर गाँव में कृषि क्षेत्र में एक अनियमित खेतिहार मजदूर के रूप में काम करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू दस वर्ष का है। वह भी गाँव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे इस काम के लिए एक हजार रुपये मिलते हैं। रामू के तीन बेटे और दो बेटियाँ हैं लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी कुछ समय के लिए अंशकालीन पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम करती है। उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिल कर खेतों में काम करती है और आमदनी बढ़ा लेती है। कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुआई, पौधा-रोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने की अवधि के दौरान लगभग चार महीने बेरोजगार रहता है। तब वह दूसरे दिनों में काम की तलाश करता है। कभी-कभी उसे ईट भट्ठे में या गाँव में चल रहे निर्माण कार्यों में काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नकद या फिर वस्तु रूप में इतना कमा लेता है जिससे वह अपने परिवार के दो जून के भोजन के लिए जरूरी चीजें जुटा सके। बहरहाल, जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कभी-कभी तो उसे तथा उसके छोटे बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। परिवार को दूध तथा सब्जियाँ भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती हैं। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के चार महीनों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है।

अकाल के दौरान खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता

किसी प्राकृतिक आपदा (जैसे, बाढ़, सूखा, अकाल, भूकम्प, महामारी आदि) के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में लोग ऊँची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते क्योंकि कम आय के कारण उच्च कीमत पर खाद्य पदार्थ पाना उनके पहुँच के बाहर होता है। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। अकाल की स्थिति में व्यापक भुखमरी आ जाती है।

एम० एस० स्वामीनाथनः— राष्ट्रीय किसान आयोग के सुझाव के महेनजर देश में एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और प्रभुसत्ता परिषद् स्थापित की जानी चाहिए और हमें पूरी जानकारी के साथ आपदाओं या अकाल के दौरान तुरंत कार्रवाई करने की क्षमता एवं आदत विकसित करनी होगी। तभी हम जरूरी खाद्यान्न भंडार बना पाएँगे, साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सभी तक पहुँचा पाएँगे।

देश में बढ़ती आबादी ने कई समस्याओं को जन्म दिया है जिससे कई राज्यों में भीषण अकाल आम बात है। इस कारण जहाँ एक ओर लोग भूखे रह रहे हैं वहीं गरीबी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।

अकाल के दौरान सबको खाद्यान्न (भोजन) मिल सके इसके लिए कृषि क्षेत्र को नजरअंदाज न करते हुए इसे अधिक अहमियत देने की जरूरत है। हम जानते हैं कि कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो राज्य के लगभग 64 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 80 प्रतिशत लोगों को रोजगार देता है। इसी कारण इन आपदाओं से निपटने या निराकरण के लिए किसान की जरूरतों के महेनजर राष्ट्रीय किसान आयोग बना जिसने एक एकीकृत रणनीति रखते हुए खाद्यान्न, स्वास्थ्य, सिंचाई पर लगातार ध्यान रखने और प्रभावशाली ढंग से प्रयोग पर जोर देने के साथ ही किसानों के कर्ज व बीमा व्यवस्था में सुधार, खेती की नयी तकनीक और बाजार की सुविधा जैसे अहम पहलुओं पर सरकार को ध्यान देने का प्रस्ताव रखा। इस दिशा में सरकारी प्रयास देखें भी जा सकते हैं।

जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त है कि अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं जो दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारी तथा भुखमरी के कारण होती है।

भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा आजादी के पूर्व 1943 में बंगाल में पड़ा था जिसे बंगाल का भयानक अकाल (**Great Famine of Bengal**) कहते हैं जिसकी विभीषिका की चर्चा नोबेल पुरस्कार विजेता एवं विख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी किया है। उस समय भारत के बंगाल प्रांत में करीब तीस लाख लोग भूख से मरे थे।

चर्चा करें:-

क्या आपको मालूम है कि बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन प्रभावित हुए? चावल की कीमतों में भारी वृद्धि से खेतिहर मजदूर, मछुआरे, परिवहनकर्मी और अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए। इस अकाल में मरनेवालों अधिकांश इसी वर्ग के गरीब लोग थे।


बंगाल प्रांत में चावल की उपज

वर्ष	उत्पादन (लाख टन)	आयात (लाख टन)	निर्यात (लाख टन)	कुल उपलब्धता (लाख टन)
1939	79	04	—	83
1940	82	03	—	85
1941	68	02	—	70
1942	93	—	01	92
1943	76	03	—	79

आइए चर्चा करें :

- कुछ लोगों का कहना है कि बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। सारणी का अध्ययन करें और बताएँ कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं?
- किस वर्ष में खाद्य उपलब्धता में भारी कमी हुई?

चित्र : 5.3



चित्र 4.1 : राहत केन्द्र पर भुखमरी से पीड़ित लोग, 1945

चित्र : 5.4



चित्र 4.2 : 1943 के बंगाल के अकाल के दौरान पूर्णी बंगाल के चट्टानी ज़िले में गाँव छोड़ कर जाता हुआ एक परिवार।

राहत केन्द्र पर भुखमरी से पीड़ित लोग

1943 के बंगाल के अकाल के दौरान अपने गाँव छोड़कर जाता हुआ एक परिवार

भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा। लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा में कालाहाँडी तथा काशीपुर जैसे स्थान हैं जहाँ अकाल जैसी स्थिति अनेक वर्षों से बनी हुई है और ऐसी भी सूचना मिली है कि वहाँ भूख के कारण अक्सर गरीब लोगों की मृत्यु होती रहती है। हाल के वर्षों में झारखंड के पलामू जिले, बिहार के नवादा, गया एवं मुंगेर जिले तथा अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अकाल ग्रस्त होने के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्न के भंडार तो पर्याप्त हैं किन्तु आवश्यकता है इसे गरीब लोगों को उपलब्ध कराने की।

अकाल एवं अन्य आपदाओं के समय आत्मनिर्भर रहने के लिए आवश्यक है कि किसानों की दशा को ठीक करना। किसानों के लिए अधिक से अधिक आय कैसे सुनिश्चित हो? इन पर विशेष जोर देने की जरूरत है। साथ ही जरूरत है किसानों को दिए जाने वाले समर्थन मूल्य में वृद्धि की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को ऐसा मौलिक तंत्र बनाया जाना चाहिए जो किसान एवं गरीब जनता पर केंद्रित हो। अकाल एवं अन्य संभावित प्राकृतिक एवं मानवीय आपदाओं से निबटने के लिए आवश्यक है कि गरीबों एवं किसानों की आय को सुदृढ़ किया जाय। फसल बीमा को और कारगर बनाने के साथ ही कृषि, लघु उद्योग एवं अन्य व्यापार क्षेत्र से जुड़े हर पहलू में गुणात्मक वृद्धि करने के लिए दीर्घकालीन योजना (Road-Map) को बनाया जाय ताकि गरीब किसान आत्मनिर्भर हो सकें।

खाद्य सुरक्षा में सरकारी एवं गैर सरकारी योगदान

देश की आजादी के लगभग 61 साल बाद भी लगभग 40 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके कम से कम एक सदस्य को साल में कम से कम एक दिन भूखा रहना पड़ता है। आज हमारी आजादी एक अरब से भी ऊपर जा चुकी है। लेकिन बढ़ती आजादी, बेरोजगारी और घटती खाद्यान्न की पैदावार ने लोगों को दो जून की रोटी के लिए तरसा रखा है। जमीन सीमित है और आजादी हर दिन बढ़ती जा रही है। सभी को भोजन मिले, इसके लिए जमीन का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। कई कारणों से जमीन बेकार पड़ी रहती है। साथ ही भारी मात्रा में कृषि उपज की बर्बादी भी होती है। ऐसे में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका कारगर हो सकती है जो समय-समय पर किसानों एवं नागरिकों को उचित सलाह दे सकें।

सरकार के सकारात्मक कदमों के कारण 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम के विपरीत होने की स्थिति में भी अकाल की स्थिति नहीं आयी।

देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले तीस वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामलों में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में अन्य विपरीत स्थिति जैसे मौसम की खराबी आदि के कारण भी कोई कमी नहीं आयी है और खाद्यान्न उपलब्धता सामान्य रूप में सुनिश्चित कर दी गई है। अनाज की उपलब्धता के दो मुख्य घटक हैं— (क) बफर स्टॉक और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली।


(क) बफर स्टॉक

भारतीय खाद्य निगम (एफ०सी०आई०) के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूँ और चावल को सरकारी भंडार में सुरक्षित रखा जाना है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूँ और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज सरकारी खाद्य भंडारों जैसे—भारतीय खाद्य निगम में रखा जाता है।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System)

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है, इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली

चित्र : 5.5



उत्पादित खाद्यान्न को भंडार गृह में संचित करने की योजना बनाते कृषक

(पी०डी०एस०) कहते हैं। जहाँ से वे खाद्यान्न वितरित होती है उसे हम राशन की दुकान भी कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गाँवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में अभी लगभग 4.6 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में, जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, चीनी खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रतिमाह इनकी एक अनुबंधित मात्रा जैसे 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदि निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है।

क्या आप जानते हैं


सरकार बफर स्टाक क्यों बनाती है? ऐसी कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गत कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है।

राशन कार्ड के प्रकार :-

- (क) निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड।
- (ख) निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए गरीब रेखा वाला कार्ड (BPL Card)।
- (ग) अन्य लोगों के लिए गरीब रेखा के ऊपर वाला कार्ड (APL)।

भारत में अनाज की उपज (करोड़ टन)

आरेख : 5.1



भारत में राशन व्यवस्था की शुरूआत :

भारत में राशन व्यवस्था की शुरूआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य एन०एस०एस०ओ० की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी प्रणाली जो पहले से ही थी, उसे और अधिक मजबूत किया गया और काम के बदले अनाज कार्यक्रम को 1977-78 में शुरू किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी०ए०पी०) चल रहे हैं जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। अधिकतर पी०ए०पी० भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोत्तरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं।



राशन दुकान से उचित दर पर वस्तुएँ
खरीदते हुए व्यक्ति

राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम :

राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 14 नवंबर, 2004 को पूरक श्रम रोजगार के सृजन को तीव्र करने के उद्देश्य से देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में प्रारंभ किया गया था। यह कार्यक्रम उन समस्त ग्रामीण गरीबों के लिए है, जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं। इसे शत-प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया और राज्यों को निःशुल्क अनाज मुहैया कराया जाता रहा है। जिला स्तर पर कलक्टर शीर्ष अधिकारी हैं और उन पर इस कार्यक्रम की योजना बनाने, कार्यान्वयन, समन्वयन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी है। वर्ष 2004-05 में इस कार्यक्रम के लिए 20 लाख टन अनाज के अतिरिक्त 2,020 करोड़ रुपये नियत किए गए हैं।

अंत्योदय अन्न योजना :

अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर, 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से एक करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ और 3

रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अनाज की यह मात्रा अप्रैल, 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ा कर 35 किलोग्राम कर दी गई। जून, 2003 और अगस्त, 2004 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त बी.पी.एल. परिवार दो बार जोड़े गए। इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई।

सहायिकी (सब्सिडी) वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। सहायिकी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊँची आय कायम रखते हुए, उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है।

गैर सरकारी संगठनों की भूमिका :

भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में गैर सरकारी संगठन एवं सहकारी समितियाँ भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सहकारी समितियाँ निर्धनों लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियाँ उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध तथा दूध उत्पादों में अमूल, बिहार में दूध तथा दूध उत्पादों में पटना डेयरी जो 'सुधा' नाम से जाना जाता है सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी है। विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर-सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। एकेडमी आफ डेवलपमेंट साइंस (ए०डी०एस०) अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली है।

सारांश

- भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ लगभग 64% से अधिक जनसंख्या कृषि पर ही आजीविका के लिए निर्भर करती है। कृषि बिहार के मुख्य व्यवसाय होने के साथ ही बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।
- बिहार राज्य में फसल मुख्यतः नकदी फसल एवं खाद्य फसल के रूप में बाँटा जाता है। खाद्य फसलों को चार प्रकार से बाँटा गया है जिनमें (i) भदई (ii) खरीफ या अगहनी (iii) रबी (iv) गरमा है बिहार राज्य की मुख्य खाद्य फसल चावल है।

किसी देश की खाद्य सुरक्षा तब सुनिश्चित होती है जब उसके सभी नागरिकों को पोषक भोजन उपलब्ध होता है। सभी व्यक्तियों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य खरीदने की सामर्थ्य होती है और भोजन तक पहुँचने में कोई अवरोध नहीं होता। निर्धनता रेखा से नीचे रहे लोग खाद्य की दृष्टि से सदैव ही असुरक्षित रह सकते हैं, जबकि संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य और पोषक तत्वों की असुरक्षा से ग्रस्त है। सबसे अधिक प्रभावित समूह ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन और गरीब परिवार, बहुत कम वेतनवाले कार्यों में लगे लोग और शहरी क्षेत्रों में मौसमी कार्यों में लगे अनियमित श्रमिक हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की बड़ी संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है जैसे—आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में जहाँ बहुत अधिक गरीबी है, जनजातियों वाले व दूरस्थ क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ प्राकृतिक आपदाएँ आती रहती हैं। समाज के सभी वर्गों के लिए खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सावधानीपूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की है, जिसके दो घटक हैं: (क) बफर स्टॉक (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त कई निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम भी शुरू किए गए, जिनमें खाद्य सुरक्षा का घटक भी शामिल था। इनमें से कुछ कार्यक्रम हैं: एकीकृत बाल विकास सेवाएँ, काम के बदले अनाज, दोपहर का भोजन, अंत्योदय अन्न योजना आदि। खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका के अतिरिक्त अनेक सहकारी समितियाँ और गैर-सरकारी संगठन भी हैं जो इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं।

अभ्यास :

I. वस्तुनिष्ठ प्रश्न :

सही उत्तर का संकेताक्षर (क, ख, ग, घ) लिखें।

(1) बिहारवासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है?

- | | |
|------------|-----------------------|
| (क) उद्योग | (ख) व्यापार |
| (ग) कृषि | (घ) इनमें से कोई नहीं |

(2) राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन है?

- | | |
|--------------------|-----------|
| (क) कुएँ एवं नलकूप | (ख) नहरें |
| (ग) तालाब | (घ) नदी |

(3) बाढ़ से राज्य में बर्बादी होती है?

- | | |
|-------------|-------------------------|
| (क) फसल की | (ख) मनुष्य एवं मवेशी की |
| (ग) आवास की | (घ) इन सभी की |

(4) अकाल से राज्य में बर्बादी होती है?

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| (क) खाद्यान्न फसल | (ख) मनुष्य एवं मवेशी की |
| (ग) उद्योग | (घ) इनमें से कोई नहीं |

(5) शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है?

- | | |
|-----------|-------------------|
| (क) भद्रई | (ख) खरीफ या अगहनी |
| (ग) रबी | (घ) गरमा |

(6) सन् 1943 में भारत के किस प्रांत में भ्यानक अकाल पड़ा?

- | | |
|-----------|--------------|
| (क) बिहार | (ख) राजस्थान |
| (ग) बंगाल | (घ) उड़ीसा |

(7) विगत वर्षों के अंतर्गत भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान

- | | |
|--------------|--------------------|
| (क) बढ़ा है | (ख) घटा है |
| (ग) स्थिर है | (घ) बढ़ता-घटता है। |

(8) निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए कौन सा कार्ड उपयोगी है?

(९) निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न के स्रोत हैं?

(10) गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है?

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें:

- (1) बिहार राज्य में कृषि जनसंख्या के आजीविका का साधन है।
 - (2) बिहार में कृषि की निम्न है।
 - (3) बिहार की कृषि के लिए सिंचाई महत्व रखती है।
 - (4) राज्य में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है।
 - (5) बफर स्टॉक का निर्माण करती है।
 - (6) निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए कार्ड है।
 - (7) भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
 - (8) औद्योगिक श्रमिक की दैनिक आवश्यकता कैलोरी है।
 - (9) दिल्ली में डेयरी कार्य करती है।
 - (10) हरित क्रांति से प्रभावित होकर भारत में लागू की गयी।

III. सही कथन को टिक (✓) तथा गलत कथन को क्रॉस (✗) करें।

- (1) बिहार की अर्थव्यवस्था में उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

- (2) बिहार की कृषि अत्याधुनिक है।
- (3) राज्य में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र काफी अधिक है।
- (4) कृषि उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है।
- (5) एक अध्यापक की दैनिक आवश्यकता कम से कम 2600 कैलोरी है।
- (6) खाद्यान्न की गुणवत्ता बनाएँ रखने के लिए अधिक कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थों की उपज पर विशेष ध्यान की आवश्यकता नहीं है।
- (7) ‘जय जवान-जय किसान’ का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया।
- (8) कृषि भारत एवं बिहार का आर्थिक इंजन है।

IV. लघु उत्तरीय प्रश्न :

(उत्तर 20 शब्दों में दें)

- (1) बिहार के कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए चार उपाए बताएँ।
- (2) खाद्य फसल एवं नकदी फसल में अंतर बताएँ।
- (3) कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं?
- (4) क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है। कैसे?
- (5) सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है?
- (6) सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं?
- (7) राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? चर्चा करें।

V. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न :

(उत्तर 100 शब्दों में दें)

- (1) बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका की विवेचना करें।
- (2) बिहार के खाद्यान्न फसल एवं उसके प्रकार की विस्तार से चर्चा करें।
- (3) जब कोई आपदाएँ आती हैं तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है? चर्चा करें।
- (4) गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं दो योजनाओं की चर्चा कीजिए।

(5) खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में गैर सरकारी संगठन की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखें।

VI. टिप्पणी लिखें:-

- (i) न्यूनतम समर्थित कीमत
- (ii) सब्सिडी (अनुदान)
- (iii) बी०पी०एल० कार्ड
- (iv) बफर स्टॉक
- (v) जन-वितरण प्रणाली

उत्तर

I. वस्तुनिष्ठ :

- (1) ग, (2) क, (3) घ, (4) क, (5) ख, (6) ग,
- (7) ख, (8) ख, (9) घ, (10) क,

II. रिक्त स्थान :

- (1) बहुसंख्यक, (2) उत्पादकता, (3) अत्यधिक, (4) काफी अधिक,
- (5) सरकार, (6) बी०पी०एल०, (7) कृषि, (8) 3600,
- (9) मदर, (10) मेक्सिको

III. सही-गलत :

- (1) गलत, (2) गलत, (3) सही, (4) सही,
- (5) सही, (6) गलत, (7) सही, (8) सही

परियोजना कार्य (Project Work) :

- (1) आपके आस-पास किस तरह की फसलों की खेती होती है?
- (2) पता करें कि किसी राहत शिविर में प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों को किस तरह की मदद दी जाती है?
- (3) कोसी नदी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण बिहार के कौन-कौन से जिले अधिक प्रभावित हुए हैं? चित्र द्वारा इसे प्रदर्शित करें।
- (4) क्या आपने अकाल पीड़ितों को कभी (धन, खाद्य सामग्री, कपड़ों, दवाओं आदि के रूप में) सहायता की है?

- (5) अपने आस-पड़ोस के राशन की दुकान का चित्र द्वारा दिखाएँ एवं वहाँ से प्राप्त होने वाली सामग्रियों की सूची बनाएँ।
- (6) राशन की दुकानें क्यों जरूरी हैं? इस राशन कार्ड से आपके परिवार ने हाल में कौन सी वस्तु (मात्रा एवं मूल्य सहित) खरीदी है? वर्णन करें।

संदर्भ :

- ♣ N.C.E.R.T. वर्ग IX अर्थशास्त्र
- ♣ हाई स्कूल अर्थशास्त्र – तेज प्रताप सिंह (भारती भवन)
- ♣ भारतीय अर्थव्यवस्था – भगवान प्रसाद सिंह
- ♣ योजना – मासिक पत्रिका
- ♣ अर्थशास्त्र – डॉ सुमन
- ♣ बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण – 2006-07
- ♣ भारत की जनगणना – 2001
- ♣ कुरुक्षेत्र – मासिक पत्रिका
- ♣ भारतीय अर्थव्यवस्था – रूद्र दत्त एवं कें पी० एम० सुन्दरम्